हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

वकील प्रार्थी उप0। बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि कृषि भूमि ख0सं0 51/271 रकबा 0कृ2428 हैक्टे0 वाके ग्राम गोविन्दपुर बावडी पटवार हल्का बल्लोप में स्थित है जिसे प्रार्थीगण के पिता छोटूलाल के द्वारा दिनांक 0.1.1981 को रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर खरीद किया था जिस पर जर्ये नामान्तकरण छोटूलाल जी का नाम संवत 2036-39 की जमाबन्दी में नाम दर्ज रेकार्ड भी हो गया था। प्रार्थी विकय पत्र 01.0. 1981 के अनुसार 5 बिस्वा भूमि पर इन्तकाल सं0 90 के अनुसार निर्बाध रूप से काबिज काश्त है। किन्तु जमाबन्दी में से प्रार्थीगण के पिता छोटूलाल का नाम गायब हो गया एवं गलत इन्द्राज होते हुए उक्त भूमि पुनः धन्नालाल के नाम दर्ज हो गयी। जिससे प्रार्थीगण को वर्तमान में भारी नुकसान उठाना पड रहा है। अतः प्रार्थीगण के खातेदार अधिकार की कृषि भूमि खता सं0 100 की ख0सं0 51/271 रकबा 0.2428 हेक्टे0 वाके ग्राम गोविन्दपुर बावडी में विस्थित भूमि पर इन्तकाल नं0 90 दिनांक 30.6.1981 के अनुसार वर्तमान खातेदारो के स्थान पर प्रार्थीगण के पिता छोटूलाल वल्द तेजमल का नाम शुद्धिकरण कर इन्द्राज दुरूस्त करने के आदेश प्रदान किये जावे।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार निवेदन किया कि राजस्व रेकार्ड में जांच अनुसार ग्राम गोविन्दपुर बावडी में नामान्तकरण सं. 90 प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित भूमि का नही होकर अन्य भूमि एवं खातेदार से सम्बन्धित है अर्थात नामा. सं.90 से प्रार्थी के पिता के नाम कोई नामान्तकरण दर्ज नही किये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस उभय पक्ष पर मनन करने, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि वाद वर्णित नामान्तकरण से प्रार्थी के पिता के नाम कोई नामान्तकरण दर्ज नही किया गया है ऐसी स्थिति में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वांछित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी वांछित अनुतोष हेतु प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर तथ्यो को प्रमाणित करने में अ सफल रहने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।